भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4651

जिसका उत्तर, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया गया

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण

4651. श्री खलीलुर रहमानः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम॰एस॰एम॰ई॰) को ऋण के लिए बैंक को नकदी रिज़र्व अनुपात (सी॰आर॰आर॰) को बनाए रखने के लिए छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एम॰एस॰एम॰ई॰ क्षेत्र को अधिक उधार देने के लिए बैंक को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान देशभर में एम॰एस॰एम॰ई॰ क्षेत्र को स्वीकृत ऋण राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): विकास की गति में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुणक प्रभाव वाले उत्पादक क्षेत्रों में बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों को नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के लिए 31 जनवरी, 2020 को समाप्त पखवाड़े के अंत में आटोमोबाइल्स, आवास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों को खुदरा ऋण के रूप में संवितरित वृद्धिशील ऋण में से बकाया ऋण के स्तर से अधिक की समतुल्य राशि को उनकी निवल मांग और समय देयता (एनडीटीएल) से कटौती करने की अनुमति दी है।

बैंक 31 जनवरी, 2020 को समाप्त पखवाड़े के अंत में ऐसे क्षेत्र में बकाया ऋण के स्तर से अधिक की राशि में से उपर्युक्त क्षेत्र को दिए गए वृद्धिशील ऋण के समतुल्य राशि की पहली कटौती का दावा 14 फरवरी, 2020 के एनडीटीएल से कर सकते हैं। ऋण के आरंभ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण की अवधि, जो भी पहले हो, तक सीआरआर की गणना करने के प्रयोजन से 31 जनवरी, 2020 से प्रारंभ हुए पखवाड़े से लेकर 31 जुलाई, 2020 को समाप्त पखवाड़े तक बकाया वृद्धिशील ऋण की समतुल्य राशि एनडीटीएल से कटौती के लिए पात्र होगी।

(ग): इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 2.11.2018 से) और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए एमएसएमई को 2% की ब्याज सहायता।

(ii) आरबीआई ने दिनांक 17.3.2016 की स्थिति के अनुसार 25 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा वाले एमएसएमई के पुनरूत्थान और पुनर्सुधार के लिए संरचना जारी की है।

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र में इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण।

(iv) सेवा क्षेत्र एमएसएमई सहित एमएसएमई ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त उधार के रूप में वर्गीकृत करना।

(v) एमएसएमई के विलंब से भुगतान की समस्या के समाधान के लिए ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) को लागू करना और फेक्टरिंग लेन-देनों का वर्गीकरण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में करना।

(vi) 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों और सभी सीपीएसई को यह निदेश जारी करना कि वे स्वयं को टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर लाएं।

(vii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 7.5%, या तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(viii) एमएसएमई के 5 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूँजी आवश्यकता को अनुमानित वार्षिक टर्नओवर के 20% के रूप में निर्धारित करके इसके परिकलन को सरल बनाया गया।

(ix) बैंकों को एमएसएमई ऋण आवेदनों की पावती अनिवार्य रूप से देने और उनके संबंध में ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने (ऑनलाइन ट्रेकिंग) के लिए प्रणाली लागू करने की सलाह दी गई है।

(x) आरबीआई ने बैंकों को एमएसएमई की 'कार्यावधि' के दौरान समयबद्ध और पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके ऋण प्रवाह को युक्तिसंगत बनाने की सलाह दी है।

(xi) मौद्रिक नीति संचरण (ट्रांसमिशन) में सुधार करने के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों को एमएसई के सभी नए फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को दिनांक 1.10.2019 से और मध्यम उद्यमों के फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को दिनांक 1.4.2020 से बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने (लिंक करने) की सलाह दी गयी है।

(xii) भारत सरकार ने लदान पूर्व और लदानोत्तर निर्यात ऋण के संबंध में इंट्रेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र विनिर्माताओं के निर्यात के संबंध में इंट्रेस्ट इक्विलाइजेशन दर को 3% से बढ़ाकर 5% किया है।

(xiii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के खाते जो दबावग्रस्त हो गए हैं, को अर्थपूर्ण पुनर्संरचना की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'मानक' के रूप में वर्गीकृत जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड किए बिना कुछेक शर्तों के अध्यधीन उनके मौजूदा ऋणों की एकबारगी पुनर्संरचना की अनुमति दी थी जिनमें, अन्य शर्तों के साथ-साथ, इन शर्तों को भी शामिल किया गया कि उधारकर्ताओं में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का कुल एक्सपोजर दिनांक 1.1.2019 की स्थिति के अनुसार 250 मिलियन रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, उधारकर्ता के खाते को दिनांक 1.1.2019 को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और योजना के कार्यान्वयन की तिथि तक और 31 मार्च, 2020 से पूर्व पुनर्संरचना के लागू किए जाने तक 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा हो।

आरबीआई द्वारा इस योजना को अब ऐसे जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई खातों जो दिनांक 1.1.2020 को चूक की स्थिति में थे, के लिए आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड किए बिना कुछेक शर्तों के अध्यधीन दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाया गया है जिसमें, अन्य शर्तों के साथ-साथ, इन शर्तों को भी शामिल किया गया है कि दिनांक 1.1.2020 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता में बैंकों और एनबीएफसी का कुल एक्सपोजर 250 मिलियन रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, उधारकर्ता के खाते को दिनांक 1.1.2020 को मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और पुनर्संरचना के कार्यान्वयन की तिथि तक और 31 दिसम्बर, 2020 से पूर्व पुनर्संरचना के लागू होने तक 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा हो।।

(घ): सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पीएसबी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को नई कार्यशील पूँजी (गैर-निधि आधारित सहित) और नए सावधि ऋणों के लिए कुल 2.88 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

*****